राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड़

(भारत सरकार का उपक्रम)
केन्द्रीय राज्य फार्म,सूरतगढ़
जिला श्रीगंगानगर (राज.)
01509–220006. 223[illegible]77 (ऑफिस)
फैक्स–01509220061. 223[illegible]77 (ऑफिस)

क्रमाकः– सी0एस0एफ0 / सूरत0 / 2–65 / कृषि / 2015– दिनांक :–

–:निविदा सूचना –

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़ जिला श्री गंगानगर (राज0) में खरीफ 2015, में बोई गयी फसलों (987.6 हैक्टयेर) की कटाई, गहाई व कपास चुगाई आदि कार्यों को ठेके पर करवाने हेतु खुली बोली व निविदाएं दिनांक 24.09.2015 को सांय 2.30 बजे तक ली जायेगी जोकि सांय 3.00 खुली बोली के बाद खोली जायेंगी। यदि 24.09.2015 को निर्णय नहीं हुआ तो दिनांक 29.09.2015 को पुनः टेण्डर लिए जाएंगे। खुली बोली व टेण्डर देने से पहले प्रत्येक चक व प्रत्येक फसल के लिए धरोहर राशि रूपये 5000/–(पांच हजार मात्र) का डीडी **राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, सूरतगढ़** को देय हो, फार्म खजांची के पास जमा कराना होगा । निविदा प्रपत्र एवम् कार्य के नियम व शर्तें निगम की वेब साईट www.indiaseeds.com से भी डाउनलोड की जा सकती है सफल टेंडर दाता की धरोहर राशि कार्य सन्तोषजनक पूरा होनें पर बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी व असफल टेंडर दाता की धरोहर राशि चैक द्वारा लौटा दी जायेगी। उपरोक्त कार्यो का विवरण किसी भी कार्य दिवस में रूपये 100/– नकद देकर प्रातः 9:30 बजे से सांय 5:15 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है। ठेकेदार के पास पैन नम्बर होना जरुरी है ।

4.9.15

प्रबन्धक (उत्पादन)
कृते निदेशक

Hindi Letter/various work

कन्द्राय राज्य फाम सूरतगढ

खरीफ 2015 की फसलों की कटाई के लिए नियम एवं शर्ते

1– निविदा दाता / बोलीदाता को रूपये 5000/– मात्र प्रत्येक चक व प्रत्येक फसल का डीडी जो कि **राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, सूरतगढ़** में धरोहर राशि के रूप में जमा कराने होगे जो कि कार्य सन्तोषजनक ढ़ग से पूरा होने के बाद बिना व्याज के लौटा दी जायेगी । आवंटित क्षेत्र की 25 प्रतिशत राशि निलामी के दिन ही जमा करानी होगी। बाकी 75 प्रतिशत राशि अगले 15 दिन में जमा करानी होगी ।

2– फसलों की कटाई के लिए ठेकेदार को अपने श्रमिक एवं कटाई सम्बन्धित औजारों की व्यवस्था स्वयं करनी होगी ।

3– फसलों की कटाई के बाद पहले छोटे छोटे ढेर लगाने होगे तथा वह सूखने के बाद एक मुरब्बे में चक प्रभारी द्वारा बताये अनुसार ढेर लगाने होगे ।

4– खरीफ –2015 की फसलों की थ्रेसिंग ठेकेदार को स्वयं के थ्रेसर से करनी होगी तथा पूरा अनाज फार्म को देना होगा व नीरा ठेकेदार का होगा ।

5– अनाज को फार्म के वाहन में लादकर सम्बन्धित खण्ड के विनोइंग सेन्टर पर उतारना होगा । खेत के खलियान की सफाई भी ठेकेदार को करनी होगी ।

6– कटाई सम्बन्धित सभी कार्यो के लिए श्रमिक ठेकेदार के होंगे । ठेकेदार फार्म में कोई पशु आदि नहीं रख सकेगा ।

7– कार्य चक इन्चार्ज व उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार करना होगा। फसल का अंकित क्षेत्रफल आवश्यकतानुसार घटाया / बढ़ाया जा सकता है । यदि फार्म को कार्य के दौरान कोई नुकसान हुआ तो उसकी वसूली ठेकेदार से की जायेगी तथा उसकी धरोहर राशि भी जब्त कर ली जायेगी ।

8– ठेकेदार को कार्य भी समय पर पूरा करना होगा, यदि श्रमिकों की कमी या अन्य कारणों से फसल को नुकसान हुआ तो दूसरा ठेकेदार लगाया जायेगा तथा अतिरिक्त जो भी खर्चा इस मद में होगा तो उसकी भरपाई प्रथम ठेकेदार से की जायेगी तथा उसकी धरोहर राशि भी जब्त कर ली जायेगी ।

9– निविदादाता / बोलीदाता द्वारा दी गयी दर को स्वीकार / अस्वीकार करने का अधिकार फार्म निदेशक को होगा ।

10– कटाई अथवा थ्रेसिंग के समय किसी श्रमिक के साथ कोई दुर्घटना होती है तो उसकी जिम्मेदार ठेकेदार की होगी इसमें फार्म किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा ।

11– कार्य शुरू करने से पहले ठेकेदार हो 100.00 रूपये का स्टाम्प अपने खर्चे से खरीद कर व सभी शर्तों को उस पर लिखकर देना होगा कि मुझे सभी शर्तें मंजूर हैं ।

12– अधूरा किया गया कार्य जो बीच में ही ठेकेदार द्वारा छोड़ा गया हो वह दूसरे ठेकेदार से करवाया जायेगा तथा इसके बारे में कार्य छोड़े गये ठेकेदार को कोई भुगतान नहीं किया जायेगा तथा साथ में घरोहर राशि भी जब्त कर ली जायेगी।

13– यदि उपरोक्त अनुबन्ध / करार के किसी उपबन्ध से कोई विवाद पक्षकारान के मध्य उत्पन्न होता है तो उस दशा में प्रकरण निगम के सह प्रबन्ध निदेशक को संदर्भित किया जायेगा जिसको यह अधिकार होगा कि वह स्वयं या अपने द्वारा नामित एकल विवेचक (सोल आर्वीटेटर) के द्वारा विवाद का निवटारा आर्बीटेशन एवं कानसिलिएशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अन्तर्गत कराए। पक्षकारान पर यह बाध्यकारी होगी कि उक्त दशा में न्यायालय जाने से पहले आर्बीटेशन द्वारा अपने विवादों का समाधान करें ।

14– सभी प्रकार की वैधानिक देयता ठेकेदार की होगी ।

15– आर्बीटेशन एवं कानसिलिएशन के उपरान्त भी यदि कोई विवाद होता है तो उसका न्याय क्षेत्राधिकार फार्म परिधि से सम्बन्धित होगा ।

4.9.15

प्रब्रन्धक (उत्पादन)

Hindi Letter/various work

खरीफ 2015 की फसलों की कटाई के लिए टेन्डर

ब्लाक नम्बर	चक नम्बर	दर प्रति एकड रूपयों में(अंको व शब्दों में) जो फार्म से लेगा या फार्म को देगा ।

कार्य का विवरणः– खेतों की खडी फसल को काटना इकटठा करना सूखी फसल को अपने थ्रेसर से थ्रेसिंग करके खेत में खलिहान साफ करना। अनाज को फार्म के साधन से लाकर विनोइंग सैंटर पर उतारना। उपरोक्त कार्य के एवज में फसल का नीरा ठेकेदार को मिलेगा तथा फार्म में अतिरिक्त रुपये जमा कराना । थ्रेसिंग आदि का कार्य पूरा होनें तक थ्रेसर फार्म क्षेत्र में ही रहेंगें बाहर नहीं जायेगें

		उर्द	मूंग	ग्वार	भिन्डी	तिल	कपास	सेयाबीन			
खण्ड	35 STG										
एक	37 STG										
	38 STG										
	39 STG										
	40 STG										
	41 STG										
	42 STG										
	44 STG										
	BRP-I										
	BRP-3										
खण्ड	31 A PBN										
दो	31 B PBN										
	33 PBN										
	RPM-I										
	RPM-2										
	RPM-3										
खण्ड	3 SGM										
तीन	4 SGM										
	5 SGM										
	34 PBN										

ठेकेदार के हस्ताक्षर
पूरा पता

खरीफ 2015 की फसलों की कटाई,गहाई व कपास चुगाई के लिए टेन्डर

ब्लाक नम्बर	चक नम्बर	खरीफ 2015 में बोया गया क्षेत्र एकड़ में									
कार्य का विवरणः– खेतों की खडी फसल को काटना इकटठा करना सूखी फसल को अपने थ्रेसर से थ्रेसिंग करके खेत में खलिहान साफ करना। अनाज को फार्म के साधन से लाकर विनोइंग सैंटर पर उतारना। उपरोक्त कार्य के एवज में फसल का नीरा ठेकेदार को मिलेगा तथा फार्म में अतिरिक्त रुपये जमा कराना । थ्रेसिंग आदि का कार्य पूरा होनें तक थ्रेसर फार्म क्षेत्र में ही रहेंगें बाहर नहीं जायेगें											
		उर्द	मूंग	ग्वार	भिन्डी	तिल	कपास	सेयाबीन			
खण्ड 1	35 STG	41-4	17-0	28-0	-	-	12-0	-			
	37 STG	40-0	23-5	5-0	11-25	-	11-0	-			
	38 STG	41-4	42-0	39-0	-	-	21-0	14-0			
	39 STG	39-0	-	7-0	-	-	16-0	-			
	40 STG	37-5	36-5	6-0	-	-	14-0	-			
	41 STG	-	20-0	-	-	-	25-0	-			
	42 STG	0-2	16-0	1-5	-	-	-	-			
	44 STG	-	-	-	-	-	-	-			
	BRP-I	22-0	34-0	-	-	-	18-0	-			
	BRP-3	-	23-0	4-0	-	-	-	-			
खण्ड 2	31 A PBN	-	138-0	42-0	-	-	-	-			
	31 B PBN	25-0	-	56-0	-	-	-	-			
	RPM-I	13-0	24-0	-	-	-	-	-			
	RPM-2	13-0	84-0	41-0	-	-	19-0	-			
	RPM-3	-	-	45-0	-	-	-	-			
खण्ड 3	3 SGM	24-0	32-0	20-0	-	-	-	-			
	4 SGM	22-0	128-0	42-0	--	-	-	-			
	5 SGM	-	73-0	1580-0	-	10-0	-	-			
	34 PBN	**38-0**	**33-0**	38-0	-	-	-	-			